ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-10* January-2022
Anthology : The Research

राजस्थान में स्थानीय राजनीति में महिला सशक्तीकरण (73 वें व 74वें संशोधन के संदर्भ में)

Women Empowerment in Rajasthan (In the 73rd And 74th Days of Amendment Issues)

Paper id: 15679 Submission: 11/01/2022, Date of Acceptance: 21/01/2022, Date of Publication: 23/01/2022

सीमा टेलर (बेदी)
शोधार्थी,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय
बीकानेर, राजस्थान,भारत

सारांश

राजस्थान में महिला सशक्तीकरण (विशेष रूप से स्थानीय राजनीति में) के संदर्भ में 73वां व 74वां संविधान संशोधन युगान्तकारी घटना के रूप में हमारे सामने आता है। इन संशोधनों द्वारा प्रदत्त आरक्षण से पूर्व राज्य की स्थानीय स्तर कीराजनीति में महिलाओं की उपस्थिति जहां नगण्य थी वहीं संशोधनों के बाद महिला प्रतिनिधित्व में आशातीत वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं की स्थानीय राजनीति में बढ़ती सहभागिता विविध पहलुओं से महिला सशक्तीकरणका महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुई जो स्थानीय राजनीति में इन संविधान संशोधनों द्वारा लाए गए क्रान्तिकारी परिवर्तन को अभिव्यक्त करती है।

Constitutional changes are included in the Constitution 73 and 74 of the Reorganization of Females in Rajasthan (in a particular state). It was introduced in these publications that women's levels of sleep in pre-prewet states only changed. At the same time, after the amendments, there has been an unprecedented increase in the representation of women. Increasing participation of women in local politics has proved to be an important means of women empowerment from various aspects. Which expresses the revolutionary change brought by these constitutional amendments in local politics.

मुख्य शब्द - स्थानीय शासन, आरक्षण, महिला सशक्तीकरण, राजनीति
Keywords - Local Governance, Reservation, Women Empowerment, Politics

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील लोकतंत्र की श्रेणी में आता है जिसमें स्थानीय शासन का विशिष्ट महत्व है। यदि किसी विकासशील राष्ट्र की राजनीति में कोई नया प्रयोग करना हो तो उसका प्रारम्भ स्थानीय शासन से किया जाना सर्वाधिक स्पष्ट परिणाम प्राप्ति को सम्भव बनाता है। स्थानीय शासन व लोकतन्त्र दोनों का एक महत्वपूर्ण पहलू है- सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना। भारत में अभी तक आधी आबादी (महिलाएं) पूर्ण प्रतिनिधित्व से वंचित रही है तथा इस वंचित वर्गको प्रतिनिधित्व देने के प्रयास का प्रारम्भ भी स्थानीय शासन से किया जाना सार्थक परिणाम प्रदान करने वाला रहा है। राजस्थान भारत का एक ऐसा ही राज्य है जहां महिलाओं की भूमिका को घर की चारदीवारी तक सीमित माना गया अतः इस राज्य की स्थानीय राजनीति में महिला सशक्तीकरण का अध्ययन अत्यन्त प्रासंगिक प्रतीत होता।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान की स्थानीय राजनीति में महिला सहभागिता पर 73वें व 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

स्वतंत्र भारत में 2 अक्टुबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक प्रारम्भ किया गया। स्थानीय शासन व महिला सशक्तीकरण परस्पर सबंन्धित है तथा भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं व स्थानीय शासन को सम्मानपूर्ण औचित्यपूर्ण स्थान प्रदत्त करने का श्रेय दिया जा सकता है - 73वें व 74वें संविधान संशोधन को। इन संशोधनों के माध्यम से न केवल सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं का सशक्तीकरण सम्भव हुआ बल्कि अब तक सत्ता में भागीदारीसे वंचित महिलाओं को भी 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ ही ये महिला सशक्तीरण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हुआ।

महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा है, जिसमें महिलाओं काराजनीतिक सशक्तीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम दृष्टिगत होता है क्योंकि जब तक सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित न हो तब तक किसी भी वर्ग के सर्वांगीण विकास की कल्पना सम्भव नहीं हो सकती।
यदि राजस्थान राज्य में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकण के परिदृश्य पर 73वें व 74वें संविधान संशोधन से पूर्व नजर डाली जाती है तो यह बेहद निराशाजनक प्रतीत होता, परन्तु इन संशोधनों के पश्चात विशेष रूपसे स्थानीय राजनीति में कुछ सकारात्मक व उत्साहजनक परिणाम सामने आते हैं।

73वंे व 74वें संविधान संशोधन से पूर्व महिला सहभागिता की स्थिति

आरक्षण प्राप्ति से पूर्व राजस्थान की स्थानीय राजनीति में भी अन्य राज्यों की भांति महिला सहभागिता नगण्य थी तथा इस सन्दर्भ में कोई विशेष प्रयास भी नहीं किए गए। राजनीतिक दलों की अरूचि के कारण जो प्रयास किए गए वे भी असफल रहे। पहली बार पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक (64वां) सन 1989 में संसद में प्रस्तुत किया गयाजिसे पंचायती राज विधेयक के रूप में जाना जाता है, परन्तु इस विधेयक के कुछ प्रयोजनों व संदेह के वातावरण के परिणामस्वरूप यह लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभामें इसे बहुमत प्राप्त न हो सका। पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को समझते हुए 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अन्य राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद नया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करवाया जिस पर श्री नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति (लोकसभा के 20 सदस्य व राज्यसभा के 10 सदस्य) द्वारा गहन विचार-विमर्श करके सुझाव प्रदान किए गए। इन सुझावों के आधार पर पहले लोकसभा फिर राज्यसभा द्वारा भी पारित किया गया व आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति के बाद 24 अप्रेल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ 73 वां संविधान संशोधन लागू हुआ जिससे भारत में स्थानीय राजनीति में नये युग का सूत्रपात हुआ, वह युग जो सभी वर्गों की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करता है।

73वें व 74वें संविधान संषोधन के बाद स्थानीय राजनीति में महिला सहभागिता

73वें व 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व शहरी शासन के सभी निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए भीपद आरक्षित है। 73वें संशोधन के बाद सम्पन्न 1995 के पंचायती राज चुनाव में 33ः आरक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाओं ने जिला प्रमुख पद पर 32.25ःजिला परिषद सदस्यों में 33.19ः, पंचायत समिति प्रधान पद पर 33.75ः, पंचायत समिति सदस्यों में 33.09ः तथा सरपंच पदपर 33.35ः सहभागिता प्राप्त की जो आरक्षण के प्रभाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि कर 50ःकर दिया गया है जिसके बाद सम्पन्न 2015 के पंचायती राज चुनाव पर दृष्टिपात करें तो पुनःआरक्षण का सकारात्मक प्रभाव नजर आता है यथा जिला प्रमुख पद पर 54.54ः, जिला परिषद सदस्यों में 50.69ः, पंचायत समिति प्रधानपद पर 55.59ः, पंचायत समिति सदस्यों में 52.70ः, सरपंच पदपर 51.13ः महिला सहभागिता रही। इस प्रकार अब तक महिला प्रतिनिधित्व से पूर्णतः वंचित ग्रामीण स्थानीय शासन में राजस्थान में वर्तमान में आधे से अधिक महिला जनप्रतिनिध है जो महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से एक बेमिसाल उदाहरण है।

74वें संविधान संशोधन से नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण से शहरी क्षेत्र में भी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण का भी मार्ग प्रशस्त हुआ इससे पूर्व नगरीय निकायों में महिला भागीदारीका प्रतिशत बेहद निराशाजनक रहा 2021 में सम्पन्न 91 नगरीय निकायों के चुनाव में 3060 सदस्यों को निर्वाचित किया गया जिसमें 1170 (38.23ः) महिलाएं तथा 1889 (61.73ः) पुरूष चुने गये। आरक्षण का यह प्रावधान मात्र निकाय सदस्यों तक सीमित नहीं रहा अपितु अध्यक्ष पद पर भी लागू होता है जिससे महिला सशक्तीरकण अधिक प्रभावी रूप से लागू हुआ क्योंकि अब तक जो महिलाएं सामान्य सदस्य पद पर भी पहुंचने से वंचित रही थी उन्हें अब अध्यक्ष पद पर भी 33ः की भागीदारी सुनिश्चित हुई। 2021 में सम्पन्न 91 नगर निकाय चुनावों में अध्यक्ष पद पर 33 (36.26ः) स्थान महिलाओं ने तथा 58 (63.74ः) स्थान पुरूषों ने प्राप्त किए। इस प्रकार आरक्षण के बाद महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त आरक्षण से अधिक रहा अर्थात वे आरक्षित स्थानों के साथ-साथ अनारक्षित स्थानों पर भी निर्वाचित हई जो उनके राजनैतिक कौशल व योग्यता को व्यक्त करता है। स्थानीय राजनीति की तस्वीर 73वें व 74वें संशोधन द्वारा पूरी तरह परिवर्तित नजर आती है। राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय राजनीति में तो महिलाएं पूरूषों से भी अधिक भागीदारी निभा रही हैं, (जब से 50 आरक्षण लागू हुआ है) वहीं नगरीय निकायों में भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नजर आती है।

स्थानीय संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय राजनीति के परिदृश्य में भी परिवर्तन स्पष्ट होता है क्योंकि अब राजस्थान की स्थानीय राजनीति में आधी आबादी का नहीं अपितु पूरी आबादी का पूर्ण योगदान है जो लोकतंत्र की धारणा को सार्थक बनाता है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन को महिला सशक्तीकरण को प्रवर्तित करने वाली मौन क्रान्ति की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इन संशोधनों की उपलब्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विविध क्षेत्रों व स्तरों पर महिला सशक्तीकरण (विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तीकरण) आरक्षण प्राप्ति से जहां एक ओर महिलाओं में राजनैतिक जाग्रति व चेतना का विकास हुआ वहीं दूसरी ओर स्थानीय शासन में भागीदारी प्राप्त होने से महिलाओं के सम्मान व प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जहां एक ओर संसद व राज्य विधानसभाओं में महिला भागीदारी का प्रतिशत 10 से भी कम है वहीं स्थानीय निकायों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राज्यों में (जहां 50ः आरक्षण लागू है) यह भागीदारी 55ः तक भी है। वर्तमान में देश में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 14 लाख है। राजस्थान जैसे राज्य में आरक्षण 50ः हो जाने से

ग्रामीण राजनीति का दृश्य पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। सत्ता में आने के पश्चात ये महिला जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास व अन्य महिलाओं के सशक्तीकरण में भी विशिष्ट रूचि प्रदर्शित करते हुए बहुत ही कुशलता से अपने कार्य को अंजाम देते हुए सफलता के नये आयाम प्रस्तुत कर रही है। इससे महिलाओं कान केवल राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ अपितु उनका सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक सशक्तीकरण भी सम्भव हुआ।

महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के परिणाम स्वरूप स्थानीय राजनीति का तो कायाकल्प हो गया परन्तु यह सुधार स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु ऐसे परिवर्तन के लिए राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भारत एक सम्पूर्ण व वास्तविक लोकतंत्र बन सके तथा देश के विकास में पूरी आबादी के कौशल व क्षमता का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान की स्थानीय राजनीति में महिला सहभागिता व सशक्तीकरण पर 73वे व 74वे संविधान संशोधन के प्रभाव का विश्लेषण करना है॥

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 73वे व 74वे संविधान संशोधन के प्रभावस्वरूप जहाँ एक ओर स्थानीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *पंचायती राज और महिलाएं - डॉ. विमला आर्य, प्रकाशन 2007, प्रकाशक राजस्थानी ग्रन्थागार*
2. *पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी - डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी (कुरूक्षेत्र पत्रिका-जुलाई 2018)*
3. *राजस्थान के पंचायतीराज में 73वें संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति (सहभागिता, समस्याएं, निराकरण)- मीना श्रृंगी - श्रृंखला- एक शौध परक वैचारिक पत्रिका (अप्रेल 2018)*
4. *महिला सशक्तीकरण में पंचायतीराज की भूमिका- जितेन्द्र कुमार पाण्डेय ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली 2006*
5. *https//sec.rajasthan.gov.in*
6. *राजस्थान पत्रिका*